संख्या-7/2015/107/अइतीस-9-2015-500(1)/2015

प्रेषक,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 09 मार्च, 2015**

विषय-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत विधान मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा अप्रयुक्त अवशेष धनराशि के समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रदेश के जनपदों से इस आशय के संदर्भ प्राप्त हुये है कि यदि मा0 विधान सभा/मा0 विधान परिषद सदस्यों में कोई रिक्ति घटित होती है और पूर्ववर्ती मा0 सदस्य द्वारा अपने विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से कुछ कार्य अभिज्ञापित न कर सकने के कारण कतिपय धनराशि शेष (Unspent) रह जाती है, तो उस धनराशि का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्वान्त में निम्न प्राविधान स्पष्ट है:-

(1)- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि व्यपगत (Lapse) नहीं होती और इसे अग्रेनीत (carry-forward) करते हुये आगे अवमुक्त होने वाली धनराशि में सम्मिलित करने का प्राविधान है।

(2)- यह धनराशि अनुवर्ती मा0 सदस्य को अनुमन्य रू0 150.00 लाख की वार्षिक सीमा के अतिरिक्त कदापि नहीं होगी।

3- अतः अनुरोध है कि प्रत्येक जनपद में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत अप्रयुक्त अवशेष धनराशि का पूरा विवरण आयुक्त, ग्राम्य विकास/शासन को उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने से पूर्व उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अवमुक्त होने वाली अगली किश्त में इसे समायोजित कर लिया जाय।

भवदीय,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

-2/

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 7/2015/107 (1) / अड़तीस -9-2015, तद दिनांक।

प्रतिलिपि- आयुक्त, ग्राम्य विकास को उनके पत्रांक-05/कार्यक्रम अनुभाग/वि0नि0/2015, दिनांक-20.01.2015, पत्रांक-06/कार्यक्रम अनुभाग/वि0नि0/2015, दिनांक-20.01.2015 व पत्रांक-11/कार्यक्रम अनुभाग/वि0नि0/2015, दिनांक-20.01.2015 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अप्रयुक्त अवशेष धनराशि की सूचना प्रत्येक जनपद से एकत्रित करते हुये उक्त योजनान्तर्गत अगली किश्त जारी होने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अत: प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि योजना की अगली किश्त ग्राम्य विकास आयुक्त के माध्यम से उपरोक्त सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ही शासन द्वारा निर्गत की जायेगी। भले ही सूचना शून्य हो।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in